

वमिान वस्तुओं में हतियों के संरक्षण और प्रवर्तन वधियक 2022 का मसौदा

प्रलिमिंस के लयि:

केप टाउन कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल, अंतर्राष्ट्रीय नागरकि उड्डयन संगठन (ICAO), लीग ऑफ नेशंस, नजि कानून के एकीकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थान (UNIDROIT)

मेन्स के लयि:

वमिान वस्तुओं में हतियों के संरक्षण और प्रवर्तन वधियक, 2022 मसौदा ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नागरकि उड्डयन मंत्रालय ने वमिान वस्तुओं में हतियों के संरक्षण और प्रवर्तन वधियक (Draft Protection and Enforcement of Interests in Aircraft Objects Bill), 2022 का मसौदा प्रस्तुत कयि ।

- प्रस्तावति कानून अंतर्राष्ट्रीय वमिान पट्टे पर देने वाली कंपनयिों को भारतीय एयरलाइन के साथ वत्तीय वविाद के मामले में भारत से बाहर वमिानों को स्थानांतरति करने में मदद करेगा, इसके अंतर्गत एक ही समय में कई क्षेत्रीय एयरलाइनों को करिए के लयि वमिान लेने से इनकार कर दयि गया है ।
- प्रस्तावति कानून भारत के केप टाउन कन्वेंशन में शामिल होने के 14 वर्ष बाद आया है ।

मसौदे के प्रमुख बडि:

- **परचिय:** यह वधियक मोबाइल उपकरण में अंतर्राष्ट्रीय हतियों पर कन्वेंशन और वमिान उपकरण के लयि वशिषिट मामलों पर प्रोटोकॉल के प्रावधानों को लागू करता है जसि वर्ष 2001 में केप टाउन कन्वेंशन में अपनाया गया था ।
 - भारत ने वर्ष 2008 में दो उपकरणों को स्वीकार कयि ।
 - ये लेनदार के लयि प्राथमकि उपचार और वविादों के लयि कानूनी व्यवस्था बनाने का प्रावधान करते हैं ।
- **आवश्यकता:** यह कानून आवश्यक है क्योक कि कंपनी अधिनियम, 2013 और दविला और दविलयिापन संहति, 2016 जैसे कई भारतीय कानून केप टाउन कन्वेंशन और प्रोटोकॉल के वरिधाभासी हैं ।
 - जेट एयरवेज के वर्ष 2019 में बंद होने के बाद, अपने वमिान के करिए का भुगतान करने में वफिल रहा, त्ने अंतर्राष्ट्रीय पट्टे पर देने वाली कंपनयिों को वमिानों को वापस लेने और नरियात करने में चुनौतयिों का सामना करना पडा ।
 - इसके अलावा भारतीय संस्थाओं को नुकसान उठाना पडा क्योक अंतर्राष्ट्रीय वत्तीय संस्थान कार्यान्वयन कानून की मांग करते हैं ।
- **उद्देश्य:** प्रस्तावति कानून एक वमिान वस्तु को वापस लेने या उसकी बकिरी या पट्टे या इसके उपयोग से आय के संग्रह के साथ-साथ डी-पंजीकरण तथा वमिानों के नरियात जैसे उपाय प्रदान करता है ।
 - यह एक दावे के अंतमि नरिणय के लंबति होने के साथ-साथ अपने भारतीय खरीदार के खिलाफ दविलयिा कार्यवाही के दौरान लेनदार के दावे की सुरक्षा के उपायों का भी सुझाव देता है ।

केप टाउन कन्वेंशन तथा प्रोटोकॉल:

- **पृष्ठभूमि:** मोबाइल संबंधी उपकरण में अंतर्राष्ट्रीय हतियों पर कन्वेंशन 16 नवंबर, 2001 को केप टाउन में संपन्न हुआ था, जो कविमिान उपकरण संबंधी वशिषिट मामलों पर प्रोटोकॉल था ।
 - कन्वेंशन और प्रोटोकॉल, अंतर्राष्ट्रीय नागरकि उड्डयन संगठन (ICAO) और नजि कानून के एकीकरण के लयि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान (UNIDROIT) के संयुक्त तत्वावधान में अपनाया गया था ।
 - ICAO एक संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की वशिष एजेंसी है, जसि वर्ष 1944 में स्थापति कयि गया था, जसिने शांतपूरण वैश्वकि हवाई नेवगिशन के लयि मानकों और प्रक्रयिओं की नीव रखी । भारत इसका एक सदस्य देश है ।

- **उद्देश्य:** उच्च मूल्य वाली विमानन संपत्तियों अर्थात् एयरफ्रेम, विमान इंजन और हेलीकॉप्टरों हेतु तथा अवरोध्य अधिकार (Opposable Rights) प्राप्त करने की समस्या को हल करने हेतु कोई नश्चिति स्थान नहीं है।
 - यह समस्या मुख्य रूप से इस कारण उत्पन्न होती है कि कानूनी प्रणालियों में लीज़ समझौतों के लिये अलग-अलग प्रावधान हैं, जो उधार देने वाले संस्थानों के लिये उनके अधिकारों की प्रभावकारिता के बारे में अनश्चितता उत्पन्न करता है।
 - यह ऐसी विमानन परसंपत्तियों हेतु वित्तपोषण के प्रावधान को बाधित करता है तथा उधार लेने की राशिको बढ़ाता है।
- **कन्वेंशन और प्रोटोकॉल के लाभ:**
 - **पूर्वानुमेयता और प्रवर्तनीयता:** कन्वेंशन और प्रोटोकॉल प्रतभूतियों के वरोध तथा विमानन परसंपत्तियों के विक्रेताओं के हितों के संबंध में पूर्वानुमेयता (Predictability) में सुधार करते हैं।
 - **लागत बचत:** परिणामी बेहतर कानूनी नश्चितिता के माध्यम से कन्वेंशन और प्रोटोकॉल का उद्देश्य लेनदारों के लिये जोखिम और देनदारों को उधार लेने की लागत को कम करना है।
 - यह अत्याधुनिक और इस प्रकार अधिक ईंधन कुशल विमानों के अधिग्रहण के लिये ऋण देने को बढ़ावा देता है।
 - कन्वेंशन और प्रोटोकॉल को अपनाने वाले राज्यों की एयरलाइंस नरियात क्रेडिट प्रीमियम पर 10% छूट प्राप्त कर सकती हैं।

नज्जी कानून के एकीकरण हेतु अंतरराष्ट्रीय संस्थान (UNIDROIT)

- नज्जी कानून के एकीकरण हेतु अंतरराष्ट्रीय संस्थान (UNIDROIT) एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय रोम के वलिया एल्डोब्रान्डीनी में स्थित है।
- इसका उद्देश्य राज्यों और राज्यों के समूहों के बीच नज्जी और वशिष रूप से वाणजियिक कानून के आधुनिकीकरण, सामंजस्य तथा समन्वय हेतु ज़रूरतों एवं वधियों का अध्ययन करना तथा उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये समान कानून उपकरणों, सदिधांतों और नियमों को तैयार करना है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1926 में राष्ट्र संघ के अंग के रूप में हुई थी।
- एक बहुपक्षीय समझौते, यूनिड्रोइट कानून (UNIDROIT Statute) के माध्यम से लीग के वधितन के बाद वर्ष 1940 में इसे फरि से स्थापति किया गया था।
- इसके 63 सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें भारत की भी भागीदार है।

स्रोत: द हट्टि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/draft-protection-and-enforcement-of-interests-in-aircraft-objects-bill-2022>

